भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2201

उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026

बुधवार, 20 फाल्गुन, 1947 (शक)

विवाह एवं विवाह पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास

2201. श्रीमती सुधा मूर्तीः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने, विवाह एवं विवाह पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि तथा भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में उभरने के परिप्रेक्ष्य में, संरचित कौशल विकास हेतु इसके रोजगार संभावनाओं का परीक्षण किया है;

(ख) क्या समारोह प्रबंधन, आतिथ्य, खानपान, सजावट तथा पारंपरिक शिल्प जैसी सेवाओं में कौशल की कमी की पहचान करने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से युवाओं, कारीगरों एवं महिलाओं के लिए विशेषीकृत कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल अथवा अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने पर विचार किया है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र के लिए व्यवस्थित कौशल प्रशिक्षण मार्गदर्शन एवं प्रमाणन रूपरेखा विकसित करने हेतु वर्तमान योजनाओं के साथ एकीकरण की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) द्वारा कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

पर्यटन और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में विवाह और विवाह पर्यटन एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजनकर्ता के रूप में उभरा है, और भारत अपने विविध पर्यटन स्थलों और प्रतिस्पर्धी कीमतों से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद (टीएचएससी) के कौशल अंतर अध्ययन (2024) के अनुसार, आतिथ्य क्षेत्र को वर्ष 2028 तक लगभग 30 लाख अतिरिक्त कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जिसमें राजस्थान, गोवा, केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में कार्यक्रम-आधारित आतिथ्य सेवाओं को उच्च विकास वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है।

टीएचएससी ने होटल श्रृंखलाओं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों और खानपान कंपनियों के साथ परामर्श किया है। शादी और एमआईसीई (मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जिबिशन) सेगमेंट मुख्य अतिथि-सत्कार संचालन से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। चिन्हित किए गए कुछ प्रमुख जॉब रोलों में निम्नलिखित शामिल हैं: फूड एंड बेवरेज सर्विस, इवेंट मैनेजर, बारटेंडर, किचन/पाक कला पेशेवर, हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस एसोसिएट्स।

टीएचएससी ने उपर्युक्त पदों के लिए विवाह पर्यटन और एमआईसीई संचालन से संबंधित योग्यता पैकेज और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए हैं, जिनमें युवा, महिलाएं और कारीगर शामिल हैं। वर्तमान में, एनएसएफ़क्यू के विभिन्न स्तरों पर विवाह और एमआईसीई पर्यटन से संबंधित 25 से अधिक पद विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उद्योग की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

पीएमकेवीवाई, शिक्षुता और पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्थित कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करके, पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) सहित संरचित कौशल विकास मार्गों को औपचारिक रूप दिया जाता है और उनका विस्तार किया जाता है। इन योजनाओं के तहत, उम्मीदवारों को विवाह पर्यटन और एमआईईसी संचालन से सीधे संबंधित जॉब रोलों में प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षुता आधारित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण उद्योग के लिए तैयार मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे भारत वैश्विक सेवा मानकों को बनाए रखते हुए बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम होता है।
